

व न  
न  
न

पुं सं 11/20

हुम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

केलबार् बनान राफ. सरकार

नम्बर  
व ता0 अहकाम  
जो इस हुम की  
तामील में जारी हुए।

12/5/25

परावली आज केर केम ही करिमा में प्रस्तुत  
 हुई। ककल कमी-धर्म के लिए प्रह वाड प्रस्तुत  
 किया गया है वारा 136 LRACT में केवल  
 निम्नीय अह्युसिमां सही जी जा सकनी है,  
 सिनी भी प्रकाट के अधिकारों का सफल नहीं  
 किया जा सकला है। माननीय उच्चतम न्यायालय  
 के निर्णय RRT 2015 पाथर 10 तथा माननीय  
 उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022  
 (2) पाथर 1864 में वी, गही सिद्धांत  
 प्रतिपादित किया कि LRACT वी वारा 136  
 में सिनी भी प्रकाट के अधिकारों का सफल  
 नहीं किया जा सकला है। इसलिए हस्तगत  
 प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी  
 को सलाह दी जाती है कि वह सिमथित वाड  
 में आवे। सुविधा वी इस्टि के प्रार्थी सिमथित  
 वाड में इत परावली को जल्दी कला सेवेगा।  
 निर्णय सेरे इफलाक पठ. काट सुनामा गया।  
 परावली केपल शुगाट सेकाट नम्बर से कन. है।

(अजना सहस्यत)  
 उपखण्ड अधिकारी अन्ता  
 जिला वारां (राज0)